झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–170 वर्ष 2017

नसीम अरशद, पे0–स्वर्गीय असफाक अहमद खान, निवासी–निशांत नगर, वासेपुर, थाना–बैंक मोड़ एवं जिला–धनबाद (झारखण्ड)

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकारण, अपने प्रबंध निदेशक के माध्यम से, जिनका कार्यालय लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद में हैं
2. सचिव, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद
3. लेखा अधिकारी, झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण, लुबी सर्कुलर रोड, धनबाद, डाकघर, थाना और जिला–धनबाद

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री कृष्ण शंकर, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं–माडा के लिए :– मेसर्स भवेश कुमार एवं रवि कुमार, अधिवक्ता

3/दिनांक:30वीं जनवरी, 2017

पर्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्त्ता के पिता, जो प्रतिवादी खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अधीन धनबाद सर्कल के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के रूप में तैनात थे, की मृत्यु सेवा के दौरान दिनांक

31.03.2016 को हुई। याचिकाकर्त्ता की शिकायत यह है कि उनको मृत्यु–सह–सेवानिवृति के बाद का ए0सी0पी0, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश, नकदीकरण, समूह बीमा, महंगाई भत्ता, 6ठे वेतन संशोधन का लाभ और ब्याज के साथ अन्य लाभों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, हालांकि उन्होनें माडा के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुबंध–3 श्रृंखला के द्वारा अभ्यावेदन दिया है।

याचिकाकर्त्ता के अधिवक्ता ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्त्ता के अभ्यावेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, इसलिए याचिकाकर्त्ता को विवश होकर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

दूसरी ओर, उत्तरदाता–एम0ए0डी0ए0 के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि याचिकाकर्त्ता को सक्षम प्राधिकारी यानी प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 से संपर्क करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, जो कानून के अनुसार याचिकाकर्त्ता की शिकायतों को देख सकते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में, चूंकि मामला याचिकाकर्त्ता के मृतक पिता के कुछ मृत्यु–सह–सेवानिवृति के बाद का बकाया और अन्य सेवा लाभों के भुगतान से संबंधित है, इसलिए रिट याचिका का निपटारा किया जाता है, याचिकाकर्त्ता को अनुमति देकर कि वह प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0, धनबाद के समक्ष तीन सप्ताह की अवधि के भीतर एक नए अभ्यावेदन सभी सहायक तथ्यों और दस्तावेजों के साथ दाखिल करे। इस तरह के अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी–प्रबंध निदेशक, एम0ए0डी0ए0 कानून के अनुसार

और याचिकाकर्त्ता के रिकॉर्ड के उचित सत्यापन के बाद, एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करेगा, 12 सप्ताह की अवधि के भीतर, उसके बाद याचिकाकर्त्ता को भी उसके बारे में सूचित किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है, यदि याचिकाकर्त्ता की शिकायतें वास्तविक पाई जाती हैं और कानूनी रूप से मृत्यु–सह–सेवानिवृति के बाद का बकाया और अन्य सेवा लाभों के हकदार हैं, तो प्रतिवादी–एम0ए0डी0ए0 द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार ही इसे वितरित किया जाएगा, जो एम0ए0डी0ए0 के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए लागू है।

तद्नुसार, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में निपटाया जाता हैं

(श्री चंद्रशेखर, न्याया0)